

**GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)**

RBE No. 01/2005

No. E (GP) 2004/2/20

New Delhi, dt: 07-02.2005

**The General Managers,
All Indian Railways and Production Units.**


**Sub: Syllabus for selection to Group 'B' post of Assistant Chief Cashier on
Railways/Production Units.**

The matter in regard to prescribing a uniform syllabus for promotion to the Group 'B' post of Assistant Chief Cashier (Rs.7500-12000) has been under consideration of the Board. The syllabus, approved by the Board, is enclosed for guidance and necessary action. The revised syllabus may be given wide publicity and circulated amongst the eligible candidates.

2.0 The enclosed syllabus will be effective from the date of issue of this letter. However, selections which have already been finalised or have been initiated otherwise than in accordance with the enclosed syllabus, need not be disturbed.

3.0 Please acknowledge receipt.

Encl: As above


(V. VAIDEHI)
JOINT DIRECTOR/ESTT.(GP)
RAILWAY BOARD

SYLLABUS FOR WRITTEN TEST FOR THE POST OF ASSISTANT CHIEF CASHIER
GROUP B (Rs. 7500-12000).

Distribution of Marks

<u>Part A</u>	<u>Maximum Marks</u>
I Establishment Rules	25
II Financial Rules	25
<u>Part B</u>	
III Professional subject	100

PART A

Establishment Rules

(a) Personnel Management

- Organization of the Accounts and Personnel Department in the Railways. The objectives of the A/cs and Personnel department, functions and policies of the A/cs and Personnel department. Role of the Accounts and Personnel officers in the HQ and in the Divisions.
- Classification of the services:- Promotion Policies and methods with special reference to reservation in Rly services.
- Leadership Styles, formal & informal leadership, Leadership quality, different leadership styles, Democratic or participative leadership styles, Advantage of participation, Joint Council of the Management, Negotiating Machinery schemes, Zonal and Divisional Corporate enterprise Group SBF, Educational Assistance

(b) Labour Relation and Welfare

- Important Recognized Trade Unions in Rlys and their role. Role of un-recognized Unions and method of dealing with them.
- Industrial dispute and legislative framework, causes of industrial dispute, basic remedies, Industrial Dispute Act 1947, Handling of Grievances.
- Hours of Employment Regulations, Overtime, Job Analysis and its mechanism.
- Factories Act, Special Rules for Workshop Staff in the Railways.
- The Workman's Compensation Act, Ex-Gratia Payment, Incentive Bonus Scheme, PLB.
- IRCA and its Functions, Rly Act. 1989.

(c) Welfare

- Pass Rules
- Retirement benefits under the PF and Pension Scheme, Final Settlement.
- Welfare for the whole family for the Railway men, concepts and practice obtaining on the Railway.
- DAR and Railway Service Conduct Rules.

(d) Official Language Policy & Official Language Rules.

FINANCIAL RULES

- Parliamentary Control Over Railway Finance, Public Accountability.
- Financial Planning and Budgeting-Budgetary and Financial Review, Appropriation Account.
- Rules of Allocation, Classification of expenditure, Control over Expenditure, Responsibility accounting, Performance budgeting, Exchequer Control, financial result of working.
- Works Programme, Financial Justification of Works, Survey Capital Expenditure, Productivity Test.
- Rules and Procedure relating to Tenders and Contracts of works, Procurement of Stores.
- Procedure for Processing and finalizing the Audit Objections and Draft-para.
- Financial Control over stores expenditure, purchase and store keeping procedure-Inventory Control and ABC Analysis.
- Financial & Cost Control.
- Delegation of Powers.
- Standards of financial propriety.

RECOMMENDED READINGS

- (i) Indian Railway Administration and Finance and Introduction Chapter III, V, VII & VIII.
- (ii) Indian Railway Code for Accounts Dept Vol-I.
- (iii) Indian Railway Code for Engineering Department Chapter II, V, IX, to XIV.
- (iv) Indian Railway Financial Code Vol-I and II.
- (v) Indian Railway Establishment Manual
- (vi) Indian Railway Establishment Code
- (vii) D&AR Rules/Rly Service Conduct Rules.
- (viii) Indian Railway Code for Stores department
- (ix) Report of the Task Force on Budgetary, Accounting and Management Practices on Railways-I & II report
- (x) Report by the Committee on techniques on Financial appraisal of Railway Project
- (xi) Indian Railway Code for Mechanical department
- (xii) Rajbhasha Niyamavali.

PART B

- 1 Duties of Asstt. Chief Cashiers
2. Functions & Procedure of Cash Office
 - Financial Organization historical background-Evolution of financial organization on the Rlys and its functions, Railway Accounts
 - Evolution of Indian Rly's historical background
 - Structure and objective of Railway Management.
 - Management Accountability
 - Duties of Divisional Cashier (Cash)
 - Procedure of Accountal of Railway earnings
 - Direct remittance of Rly. Earnings into Banks
 - Procedure dealing with various instruments received in Cash Office.
 - Monitoring of Cash-in-Transit.

- System of withdrawal of Cash from Railway earnings.
- Duties of Commercial Staff in Cash Office.
- System of Honorarium to Cash Section Staff.

3 Functions and Procedure of Pay Office

- Functions & procedure of Pay Office.
- Duties of Divisional Cashier (Pay)
- Procedure of Payment at Divisions/Construction units/Workshops
- Indirect Payments
- Reporting & Investigations of loss of cash/Stores and other Rly property
- Accountal of Deposits
- Surprise Check of Cashiers
- System of Honorarium to Pay Section Staff
- Treasury Rules of the Central Govt applicable to Railway department.
- Advance and Arrears Claims
- Disallowance and Objections
- Petty Contingent Expenses, Cash Imprest
- Departmental regulation Organization and office procedure
- Payment to Workshop Labour.
- Departmental regulation Organization and office procedure
- Bills
- Detailed Accounting Procedure (para 429 to 455 of Accounts Code Vol-I)

RECOMMENDED READINGS

- (i) Indian Rly Financial Code Vol-I(Chapter I, X, XI)
- (ii) Indian Rly Administration and Finance-An introduction-1991 edition (Chapter I, II, V, X, XI)
- (iii) Indian Railway Code for Accounts Dept Vol-1. (Chapter I, XI & XIX)
- (iv) Indian Railway Code for the Mechanical Department (Workshop) 1991 Editon (Chapter III)
- (v) Manual of Cash & Pay Department

आरबीई सं. 01/2005

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं. ई (जी पी)2004/2/20

नई दिल्ली, दिनांक ०7. 2. 2005

महाप्रबंधक (कार्मिक),
सभी भारतीय रेलों तथा
उत्पादन इकाइयां.

विषय : रेलों/उत्पादन इकाइयों में सहायक मुख्य कैशियर के ग्रुप 'बी' पद पर चयन के लिए
पाठ्यक्रम.

सहायक मुख्य कैशियर (7500-12000 रु.) के ग्रुप 'बी' पद पर पदोन्नति के लिए एकसमान
पाठ्यक्रम निर्धारित करने से संबंधित मामला बोर्ड के विचाराधीन रहा है. बोर्ड द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम
मार्गदर्शन और आवश्यक कार्रवाई के लिए संलग्न है. संशोधित पाठ्यक्रम का व्यापक प्रचार किया जाए और
पात्र कर्मचारियों में परिपत्रित किया जाए.

2.0 संलग्न पाठ्यक्रम इस पत्र के जारी होने की तारीख से प्रभावी होगा. लेकिन, जिन चयनों को पहले ही
अंतिम रूप दिया जा चुका है या जिन पर संलग्न पाठ्यक्रम से भिन्न प्रकार से कार्रवाई शुरू की जा चुकी है,
उनके संबंध में कोई कार्रवाई न की जाए.

3. कृपया पावती दें.

वी.वैदेही

(वी.वैदेही)

संयुक्त निदेशक, स्था.(राज.पदो.)

रेलवे बोर्ड

सं. ई (जी पी)2004/2/20

नई दिल्ली, दिनांक ०7. 2.2005

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित.

- (1) महानिदेशक, अ.अ.मा.सं., लखनऊ
- (2) मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, डीपुका पटियाला
- (3) मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, म.प.प. (रेलें), मुंबई एवं चेन्नै
- (4) अध्यक्ष, रेलवे भर्ती बोर्ड :
इलाहाबाद/अहमदाबाद/अजमेर/बैंगलूरु/भोपाल/भुवनेश्वर/कोलकाता/घंडीगढ़/चेन्नै/ गोरखपुर/
गुवाहाटी/जम्मू एवं श्रीनगर/मालदा/मुंबई/मुजफ्फरपुर/ पटना/रांची/ सिकंदराबाद/त्रिवेंद्रम.
- (5) महानिदेशक, रेलवे स्टॉफ कालेज, वडोदरा

- (6) निदेशक, भारतीय रेल सिगनल इंजीनियरी एवं दूरसंचार संस्थान, सिकंदराबाद/भारतीय रेल यांत्रिक एवं बिजली इंजीनियरी संस्थान, जमालपुर/भारतीय रेल बिजली इंजीनियरी संस्थान, नासिक/भारतीय रेल सिविल इंजीनियरी संस्थान, पुणे/ भारतीय रेल कैमटेक, ग्वालियर
- (7) रेल संपर्क अधिकारी, जीवन तारा भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली.
- (8) महासचिव, आई आर सी ए, नई दिल्ली
- (9) मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, काफमो, रेलवे आफिस कांप्लेक्स, तिलक ब्रिज, नई दिल्ली-110002
- (10) सचिव, रेल दर अधिकरण (चेन्नै), 50 एम सी निकोला रोड, चेटपट, चेन्नै
- (11) कार्यपालक निदेशक, क्रिस, सफदरजंग रेलवे स्टेशन भवन, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली
- (12) निदेशक (संचलन), रेलवे 17 एन एस रोड, कोलकाता
- (13) संयुक्त निदेशक (लौह एवं इस्पात), 3 कोयलाघाट स्ट्रीट, कोलकाता.

वी.वैदेही

(वी.वैदेही)

संयुक्त निदेशक, स्था.(राज.पदो.)

रेलवे बोर्ड

सं. ई (जी पी)2004/2/20

नई दिल्ली, दिनांक 07-2,2005

प्रतिलिपि प्रेषित :

1. महासचिव, आल इंडियन रेलवेमैन फेडरेशन, कमरा नं.253, रेल भवन, नई दिल्ली (35 प्रतियां)
2. महासचिव, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन, कमरा नं.256-ई, रेल भवन, नई दिल्ली (35 प्रतियां)
3. सभी सदस्य, विभागीय एवं राष्ट्रीय परिषद तथा सचिव, कर्मचारी पक्ष. राष्ट्रीय परिषद, 13-सी. फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली. (90 प्रतियां)
4. महासचिव, फेडरेशन आफ रेलवे आफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं. 256-ए, रेल भवन, नई दिल्ली (5 प्रतियां)
5. महासचिव, इंडियन रेलवे प्रोमोटी आफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं. 268, रेल भवन, नई दिल्ली (5 प्रतियां)
6. महासचिव, अखिल भारतीय रे.सु.ब. संघ, कमरा नं. 549, रेल भवन, नई दिल्ली-110001
7. आर.बी.एस.एस. एसोसिएशन

457/2/05
कृते सचिव/रेलवे बोर्ड

सहायक मुख्य कैशियर ग्रुप 'बी' (7500-12000 रु.) के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम

अंकों का वितरण

<u>भाग क</u>	<u>अधिकतम अंक</u>
I स्थापना नियम	25
II वित्तीय नियम	25

भाग ख

III व्यावसायिक विषय	100
---------------------	-----

भाग क

स्थापना नियम

(क) कार्मिक प्रबंधन

- रेलों में लेखा और कार्मिक विभाग का संगठन. लेखा और कार्मिक विभाग का उद्देश्य तथा लेखा और कार्मिक विभाग के कार्य और नीतियां. मुख्यालय और मंडलों में लेखा और कार्मिक अधिकारियों की भूमिका.
- सेवाओं का वर्गीकरण :- रेल सेवाओं में आरक्षण के विशेष संदर्भ में पदोन्नति संबंधी नीतियां और पद्धतियां
- नेतृत्व की शैली, औपचारिक और अनौपचारिक नेतृत्व, नेतृत्व क्षमता, विभिन्न नेतृत्व शैलियां, लोकतान्त्रिक अथवा सहभागिता नेतृत्व शैली, सहभागिता के लाभ, संयुक्त प्रबंधन परिषद्, वार्ता तंत्र योजनाएं, क्षेत्रीय और मंडल निगम उद्यम, सामूहिक कर्मचारी कल्याण निधि, शैक्षिक सहायता

(ख) मालिक मजदूर संबंध और कल्याण

- रेलों पर महत्वपूर्ण मान्यता प्राप्त मजदूर संघ और उनकी भूमिका. गैर मान्यता प्राप्त संघों की भूमिका और उनके साथ व्यवहार का तरीका.

- औद्योगिक विवाद और विधायी ढांचा, औद्योगिक विवाद के कारण, मूल उपाय, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 शिकायतों का निपटान .
- रोज़गार विनियम के घंटे, समयोपरि, कार्य विश्लेषण और इसका तन्त्र .
- रेलों पर कारखाना कर्मचारियों के लिए फैक्टरी अधिनियम विशेष नियम .
- कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, अनुग्रह की राशि का भुगतान, प्रोत्साहन बोनस योजना, उत्पादकता संबद्ध बोनस.
- भारतीय रेल सम्मेलन और इसके कार्य, रेल अधिनियम, 1989.

(ग) कल्याण

- पास नियम .
- भविष्य निधि और पेंशन योजना के अंतर्गत सेवानिवृत्ति के लाभ, अंतिम निपटारा .
- रेल कर्मियों के संपूर्ण परिवार के लिए कल्याण, संकल्पना और रेलों पर प्रचलित प्रक्रिया .
- अनुशासन एवं अपील नियम तथा रेल सेवा आचरण नियम .

(ड.) राजभाषा नीति और राजभाषा नियम .

वित्तीय नियम

- रेलवे वित्त पर संसदीय नियंत्रण, जनता के प्रति जवाबदेही .
- वित्तीय योजना एवं बजट - बजटीय एवं वित्तीय समीक्षा, विनियोग लेखा .
- आबंटन के नियम, व्यय का वर्गीकरण, व्यय पर नियंत्रण, उत्तरदायित्व संबंधी लेखा-जोखा, निष्पादन बजटिंग, राजकोष नियंत्रण, कार्य प्रणाली के वित्तीय परिणाम .
- निर्माण कार्यक्रम, निर्माण कार्यों का वित्तीय औचित्य, सर्वेक्षण पूंजी व्यय, उत्पादकता परीक्षण.
- निर्माण के ठेकों एवं संविदाओं से संबंधित नियम एवं प्रक्रिया, भंडार की खरीद .
- लेखा परीक्षा आपत्तियों पर कार्रवाई करने और अंतिम रूप देने संबंधी कार्यविधि और प्रारूप पैरा .
- भंडार व्यय पर वित्तीय नियंत्रण, खरीद और भंडार के रख-रखाव की कार्यविधि-वस्तुसूची नियंत्रण और ए बी सी विश्लेषण .
- वित्तीय एवं लागत नियंत्रण .

- शक्तियों का प्रत्यायोजन .
- वित्तीय औचित्य के मानक .

अनुशक्ति अध्ययन सामग्री

- (i) भारतीय रेल प्रशासन एवं वित्त एक परिचय अध्याय III, V, VII एवं VIII
- (ii) भारतीय रेल लेखा संहिता जिल्द-I
- (iii) भारतीय रेल इंजीनियरी संहिता अध्याय II, V, IX से XIV
- (iv) भारतीय रेल वित्त संहिता जिल्द-I एवं II
- (v) भारतीय रेल स्थापना नियमावली
- (vi) भारतीय रेल स्थापना संहिता
- (vii) अनुशासन एवं अपील नियम/रेल सेवा आचरण नियम
- (viii) भारतीय रेल भंडार संहिता
- (ix) रेलों पर बजटीय, लेखा एवं प्रबंधन प्रक्रिया के संबंध में कार्यदल की रिपोर्ट-I एवं II
- (x) रेलवे परियोजना के वित्तीय मूल्यांकन की तकनीकों पर समिति की रिपोर्ट .
- (xi) भारतीय रेल यांत्रिक संहिता
- (xii) राजभाषा नियमावली

भाग ख

व्यवसाय से संबंधित प्रश्न पत्र

1. सहायक मुख्य कैशियर की ड्यूटी
2. रोकड़ कार्यालय के कार्य एवं कार्यविधि

- वित्तीय संगठन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि -रेलों पर वित्तीय संगठन का विकास एवं इसके कार्य, रेलवे लेखा
- भारतीय रेलों का विकास-ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
- रेलवे प्रबंधन की संरचना एवं उद्देश्य
- प्रबंधन का उत्तरदायित्व
- मंडल कैशियर की ड्यूटी

- रेलवे आमदनी के लेखा-जोखा की कार्यविधि
- रेलवे आमदनी को सीधे बैंकों में भेजना
- रोकड़ कार्यालय में प्राप्त विभिन्न दस्तावेजों पर कार्रवाई करने संबंधी प्रक्रिया
- कैश इन ट्रांसिट की निगरानी
- रेलवे आमदनी से नकद राशि निकालने की प्रणाली
- रोकड़ कार्यालय में वाणिज्य कर्मचारियों की ड्यूटी
- रोकड़ शाखा के कर्मचारियों को मानदेय देने की प्रणाली

3. भुगतान कार्यालय के कार्य और कार्यविधि

- भुगतान कार्यालय के कार्य और कार्यविधि
- मंडल कैशियर (भुगतान) की ड्यूटी.
- मंडलों के/निर्माण इकाइयों/वर्कशाप में भुगतान की कार्यविधि
- अप्रत्यक्ष भुगतान
- रोकड़/भंडार और अन्य रेल संपत्ति के नुकसान की रिपोर्ट और जांच पड़ताल
- निक्षेप का लेखा-जोखा
- कैशियरों की आकस्मिक जांच
- भुगतान शाखा के कर्मचारियों को मानदेय देने की प्रणाली
- रेल विभाग को लागू केन्द्रीय सरकार के कोष नियम
- अग्रिम और बकाया राशि के दावे
- अस्वीकृतियां और आपत्तियां
- छोटे-छोटे आकस्मिक खर्च, नकद अग्रदाय
- विभागीय नियमन संगठन और कार्यालय पद्धति
- वर्कशाप श्रमिक को भुगतान
- विभागीय नियमन संगठन और कार्यालय पद्धति
- बिल
- लेखा संबंधी विस्तृत कार्यविधि (लेखा संहिता जिल्द. I का पैरा 429 से 455)

अनुशक्ति अध्ययन सामग्री

- (i) भारतीय रेल वित्त संहिता जिल्द-I (अध्याय I, X, XI)
- (ii) भारतीय रेल प्रशासन और वित्त -एक परिचय 1991 संस्करण (अध्याय I, II, V, X, XI)
- (iii) भारतीय रेल लेखा संहिता वॉल-I (अध्याय-I, XI, XIX)
- (iv) भारतीय रेल यांत्रिक संहिता (वर्कशाप)1991 संस्करण (अध्याय- III)
- (v) रोकड़ और भुगतान नियमावली